

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 208/2024

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुनीलाल पुत्र मूलाराम 2. बाबूलाल पुत्र मूलाराम 3. खेताराम पुत्र मूलाराम जाति सोनी, निवासी उण्डू तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 21.05.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 509 रकबा 5.5037 हैक्टेयर मौजा जाटावास, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काशत है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी तहसीलदार शिव के आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 976/509 रकबा 5.6980 हैक्टेयर मौजा जाटावास, तहसील शिव में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काशत करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे ग्राम उण्डू से ग्राम काश्मीर जाने वाली डामर सड़क से ग्राम पनावास जाने वाली ग्रेवल सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा जाटावास, तहसील शिव के खसरा नम्बर 976/509 कुल रकबा 5.6980 हैक्टेयर में से रकबा 0.1396 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की लम्बाई 115 गट्टा एवं चौड़ाई 03 गट्टा है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावे।


हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में मौजा जाटावास, तहसील शिव के खसरा नम्बर 976/509 में प्रस्तावित किया गया है, जो सरकारी खसरा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 976/509 रकबा 5.6980 हैक्टेयर में से रकबा 0.1396 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प




उपखण्ड अधिका
शिव

है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 115 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि होने तथा प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकता होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 509 रकबा 5.5037 हैक्टेयर मौजा जाटावास, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी के आधिपत्य के मौजा जाटावास, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 976/509 रकबा 5.6980 हैक्टेयर में से 0.1396 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।


उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 21.05.2025 को सरे इजलास सुनाया।


उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव